

बिहार सरकार  
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक मार्च, 2015

पत्र संख्या-1/एल01-10-15/2014 गृ0आ0 /श्रीमती किम, भा0पु0से0 (2008), पुलिस अधीक्षक, खगड़िया सम्प्रति समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, बिहार, पटना को विभागीय पत्रांक 10655, दिनांक 29.12.2014 द्वारा दिनांक 01.01.2015 से 01.03.2015 तक कुल 60 (साठ) दिनों की स्वीकृत उपार्जित अवकाश को संशोधित करते हुए अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2015 से 02.02.2015 तक कुल 33 (तीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं दिनांक 03.02.2015 से 01.03.2015 तक स्वीकृत अवकाश (जिसका उपभोग नहीं किया गया है) को रद्द करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(कौशलेन्द्र पाठक)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-15/2014 गृ0आ0 /पटना, दिनांक मार्च, 2015  
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-15/2014 गृ0आ0 /पटना, दिनांक मार्च, 2015  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-15/2014 गृ0आ0 1786 /पटना, दिनांक 17 . मार्च, 2015  
प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्रीमती किम, भा0पु0से0 (2008), पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/ आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।